

उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर  
बीरबलसिंह बनाम TDR

ग.फ. 136 LR A-4

मु. 59/2018

20/1/2018 पशवली फेस हुई। वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं  
में से कोई भी उपस्थित नहीं। न्यायालय समय  
में वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं को बार-बार  
आवाज लगवाई गई। कोई भी उपस्थित नहीं।  
न्यायालय समय में पुनः दोपहर 3 बजे वकील  
प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं को बार-बार आवाज  
लगवाई गई। कोई भी उपस्थित नहीं। सांकेतिक  
में न्यायालय समाप्ति से पूर्व पुनः वकील प्रार्थी  
व प्रार्थी को बार-बार आवाज लगवाई गई।  
कोई भी उपस्थित नहीं। इतः वकील प्रार्थी व  
प्रार्थी को बार-बार आवाज लगवाने के बावजूद  
उपस्थित नहीं होने पर पशवली इती लत पर  
आदेश पेशी। आदेश हाजिरी में खोज की जाती  
है। पशवली फैसल मुगा होकर बाद लेकमील  
दाखिल दफतर है।



*Riy*  
उपखण्ड अधिकारी  
धोद मु. सीकर

